उत्तर प्रदेश सरकार (224)
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष
Office of Engineer-in-Chief (Dev.) &
Head of Department
उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ - 226001
UP PWD, Lucknow - 226001

96, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 22600
96, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow
Office : 0522-2237315, 223547
Fax No. : 0522-223671
e-mail : pwdeinc@gmail.com

पत्रांक 239/कैम्प/प्र0अ0वि0(मु0-1)/18 दिनांक 02/08/18

कार्यालय–ज्ञाप

सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन सं0–12893/2018 अशोक कुमार दूबे बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 06.07.2018 को निम्न आदेश पारित किये हैं :–

"Furnishing complete particulars of the land which have been encroached and occupied by the State Government, its department and instrumentality either for road widening or for any other public purposes without purchasing or acquiring the land or without the consent of the land holders and at the same time would explain the method of determining the compensation playable in such cases."

इस कार्यालय के अर्द्ध शासकीय पत्र सं0– 241 कैम्प–प्र0अ0विकास/ 03(मु0–1)/18 दि0 29.05.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा यह आदेश दिये गये थे कि किसी भी भवन, मार्ग एवं सेतु निर्माण में बिना भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य न किया जाये एवं यदि किसी निर्माणाधीन परियोजना में ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आये, तो तत्काल उसके भूमि अधिग्रहण का आगणन बनाकर प्रस्तुत किया जाये। किसी भी क्षेत्र द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि किसी भी क्षेत्र में बिना भूमि अधिग्रहण के या बिना भूस्वामी की लिखित सहमति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि **भविष्य में कोई भी आगणन विशेषतया मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्तुत करते समय निम्न प्रमाण पत्र को आगणन के साथ लगाया जाये, अन्यथा की स्थिति में आगणन मुख्यालय से शासन को नहीं भेजा जायेगा।** ग्रामीण मार्गों के निर्माण में भी केवल राज्य सरकार की भूमि पर या भूस्वामी की लिखित सहमति उपरान्त ही निर्माण कराया जाये। यदि भूमि स्वामी की सहमति प्राप्त की जाती है तो उसको रिकार्ड में रखा जाये।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

2/8/18
(वी0 के0 सिंह)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/(परिकल्प एवं नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0–1)/(सेतु)/(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. समस्त अधी0 अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 (ईमेल द्वारा)।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

2/8/18
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रमाण पत्र

जनपद ..... में ..... मार्ग, जोकि ..... श्रेणी का है, के चौड़ीकरण का आगणन चैनेज ..... से चैनेज ..... तक गठित किया गया है। प्रस्तावित चैनेज में लोक निर्माण विभाग/ राज्य सरकार की भूमि की चौड़ाई का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. लोक निर्माण विभाग की भूमि– ..... मीटर (चौड़ाई)
2. राज्य सरकार की भूमि – ..... मीटर (चौड़ाई)

यदि किसी विशेष परिस्थिति में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता हो तो निम्नानुसार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।

प्रमाण पत्र

जनपद ..... में ..... मार्ग, जोकि ..... श्रेणी का है, के कि0मी0 ..... से कि0मी0 ..... तक मार्ग के चौड़ीकरण का आगणन गठित किया गया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग के राजस्व अभिलेखों के अनुसार औसतन चौड़ाई ..... मीटर है। शेष ..... मीटर चौड़ाई की भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, जिसका विवरण चैनेजवार आगणन में अंकित है। भूमि अधिग्रहण में रू0 ..... करोड़ की आवश्यकता होगी।

हस्ताक्षर
(अधिशांसी अभियन्ता)
..... खण्ड,
लो0नि0वि0, ...

हस्ताक्षर
(अधीक्षण अभियन्ता)
..... वृत्त,
लो0नि0वि0, ...

वी0 के0 सिंह
प्रमुख अभियन्ता (विकास),
विभागाध्यक्ष

226

लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0
96, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
कार्या0 : 0522-2237315, 2235472
फैक्स : 0522-2236716
e-mail: pwdeinc@gmail.com

अ.शा.पत्र सं0. 241 कैम्प-प्र.अ. विकास/03(मु0-1)/18

लखनऊ, दिनांक 29/05/18

प्रिय श्री .....,

आप पूर्व से ही अवगत हैं कि किसी भी भवन, मार्ग एवं सेतु निर्माण में बिना भूमि अधिग्रहण किये कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भूस्वामी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट दायर कर विभाग के लिए असहज स्थिति पैदा की जाती है एवं निर्माण के कई वर्षों बाद भूमि का मुआवजा ब्याज के साथ देना पड़ता है। आप यह सुनिश्चित करें एवं अगले 10 दिन में यह प्रमाण पत्र दें कि आपके क्षेत्र में ऐसी कोई परियोजना निर्माणाधीन नहीं है, जिसमें भूमि अधिग्रहण न हुआ हो। यदि किसी कारणवश निर्माण में पड़ने वाली भूमि अधिग्रहण की धनराशि पूर्व में आगणन में सम्मिलित न की गयी हो, तो तत्काल उसके आगणन स्वीकृति के लिए शासन को भेजे जायें।

सभी अधिकारियों को इस बात से अवगत करा दिया जाये कि किसी भी परियोजना में बिना भूमि अधिग्रहण किये यदि कोई निर्माण कार्य किया जाता है एवं परियोजना निर्माण के समय या पूर्ण होने के बाद मुआवजे की धनराशि राज्य सरकार को देनी पड़ती है तो निर्माण करने वाले अधिकारियों का दायित्व निर्धारण किया जाये।.

भवदीय,

29/5/18

(वी0 के0 सिंह)

श्री .....
मुख्य अभियन्ता,
..... क्षेत्र,
लो0नि0वि0, ...।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता (मु0–1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से कि सभी प्रस्तावित सेतुओं/आर0ओ0बी0 के पहुंच मार्गों में यदि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता हो तो धनराशि का प्राविधान नियमों के अन्तर्गत आगणन में किया जाये।
3. अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन)/(समग्र), लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से कि आगणन चेकिंग के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। उचित होगा कि आगणन के प्रतिवेदन में सम्बन्धित अधिकारी से इस बात का प्रमाण पत्र लिया जाये कि निर्माण कार्य में यदि कोई भूमि आ रही हो तो उसके मुआवजे की धनराशि सम्मिलित की गयी है।

प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष